

**सार्वजनिक बिक्री/
नीलामी सूचना**
(अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक बिक्री / नीलामी सूचना

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता/बंधकर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	मांग सूचना तिथि/अधिग्रहण तिथि/अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रु०)	आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि
----------	--------------------------------	--------------------------------	---	--------------------	--------------------------

संख्या: टाडा चोराहा			
3.	ऋषी श्री चंद्र शेखर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, प्रोप. शेखर श्री रोल्स, ग्राम- जखौती (डिहवा बाजार) पोस्ट-घोरांग, जिला संत कबीर नगर बंधकर्ता/जमानतकर्ता: 1. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र करीमन सिंह, ग्राम-जखौती (डिहवा बाजार), पोस्ट-घोरांग, जिला संत कबीर नगर 2. श्रीमती विद्या देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह, ग्राम-जखौती (डिहवा बाजार), पोस्ट-घोरांग, जिला संत कबीर नगर	अचल संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर प्लॉट संख्या 246 के भूमि एवं भवन, क्षेत्रफल- 0.185 हेक्टेयर, स्थित ग्राम-जखौती तप्पा सिरसी परगना महुली पूर्व तहसील- धनघटा जिला-संत कबीर नगर भूस्वामी: लक्ष्मण सिंह पुत्र करीमन सिंह एवं विद्या देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह चौहद्दी: उत्तर: सलामत खान की भूमि, दक्षिण: खाली जमीन, पूर्व: शिव नारायण राय की भूमि, पश्चिम: पीडब्ल्यूडी रोड	17.02.2021 11.08.2021 सांकेतिक कब्जा रु. 6,47,645.00 दिनांक 31.01.2021 (+ ब्याज एवं अन्य खर्च) 19,82,000.00 1,98,200.00

ग्राखा : खलीलाबाद					
5.	ऋषी: श्री सुनील उपाध्याय पुत्र स्व० साधु सरन उपाध्याय, ग्राम-जनता कसैला रोड, पोस्ट-खलीलबाद, जिला संत कबीर नगर 272175 जमानतकर्ता: श्री देवीन्तरा देवी पत्नी साधुसरन उपाध्याय, ग्राम-जनता मार्ग कसैला रोड, पोस्ट-खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर 272175 जमानतकर्ता: श्री लवकुश नारायण पुत्र चंद्रिका, ग्राम-ढेलुआपार, पोस्ट-खलीलबाद, जिला संत कबीर नगर 272175	अचल संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर प्लॉट संख्या 2142 मिन के भूमि एवं भवन, क्षेत्रफल- 0.025 हेक्टेयर स्थित ग्राम-मौजा खलीलबाद, तप्पा-दक्षिण हवेली, परगना-मगहर पूर्व तहसील-खलीलाबाद, जिला-संत कबीर नगर, भूस्वामी: देवित्रा देवी पत्नी स्व० साधुसरन चौहदरी: उत्तर: कच्चा रोड प्रस्तावित, दक्षिण: राजकुमार चौरसिया की भूमि, पूर्व: राम यादव की भूमि, पश्चिम: कलावती देवी का मकान	27.07.2021	रु. 6,23,946.00	51,37,000.00
			06.10.2021	दिनांक 16.07.2021 (+ ब्याज एवं अन्य खर्चें)	5,13,700.00
			सांकेतिक कब्जा		

कोटी के नियम एवं शर्त : 1. इच्छुक बोलोदाताओं को सुहरखद लिफाफे, पैस कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रत और फोटो के साथ में अपनी बोली जमा करनी होगी। (लिफाफे के ऊपर स्पष्ट और पनीय बोली क्रम में लिखनी है) 2. बोलोदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में संत कबीर नगर (खोलीलाबाद) में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती बड़ोदा) को पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आशित मूल्य का 10% जमा / संलान करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आशित मूल्य से कम की नहीं होगी चाहिए) को सफल बोलीदाता को पक्ष में माना जाएगा। और शेष असफल बोलोदाताओं की ईमेलडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलोदाता को नगद के रूप में उसी दिन बोली रकम (ईएमडी) को छोड़कर, का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर दी जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कौनों कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / ख / निर्लपित कर सकेंगे। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बताने को बताने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. बोलोदाता सम्पत्ति को आशित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलोदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दा या अधिक बोलोदाताओं की एक समान बोली रकम में तो प्राधिकृत अधिकारी उन्हें मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को 'जैसा है जैसा है' बेचा जाएगा। 'जैसा है जो कुछ है' और 'वहां जो कुछ भी है' आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकायों का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रद्द किया जाएगा। अतः कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्थितियों को निर्यत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूत लिहा प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) प्राप्ति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलोदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संसुद्ध एवं पुष्ट हो लें। 11. अपरानन्द 2:00 बजे से साय 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए एवशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि <https://upgbank.com/sarfaesnotice.php> देखें।

संरक्षणीय अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिंदी सूचना

कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को उत्तरदायित्व दिया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का मूल्यांकन करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो उसे उचित व्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक: 31.05.2025 स्थान: संत कबीर नगर प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती बड़ौदा यू0पी0 बैंक)